भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 244

गुरूवार, 03 फरवरी, 2022 / 14 माघ, 1943

कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान समाप्त हुई और सृजित नौकरियां

244. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण 10 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई, यदि हां, तो उनका क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो कोविड-19 की पहली लहर और दूसरी लहर में अब तक निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समाप्त हुई नौकरियों का वास्तविक ब्यौरा क्या है और इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल सृजित नौकरियों का क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा अप्रैल से जून 2021 की अवधि के लिए कराए गए अखिल भारतीय तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण के भाग के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले चरण के परिणाम के अनुसार, छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में दी गई रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था के नौ चयनित क्षेत्रों में रोजगार में कुल 2.37 करोड़ की वृद्धि की तुलना में इन क्षेत्रों में 3.08 करोड़ (लगभग) की बढ़ोतरी हुई, जो 29% की वृद्धि दर दर्शाती है। आईटी/बीपीओ क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली वृद्धि 152 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में 22 प्रतिशत, परिवहन में 68 प्रतिशत तथा सन्निर्माण में यह वृद्धि 42 प्रतिशत है। कोविड-19 महामारी के दौरान नौ चयनित क्षेत्रों में नौकरियों और प्रतिष्ठानों पर प्रभाव के संबंध में सूचना भी अप्रैल से जून 2021 के दौरान कराए गए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) द्वारा हाल ही में ली गई है। प्रमुख 9 क्षेत्रों के अंतर्गत कवर किए गए अनुमानित प्रतिष्ठानों जिनमें वस्त्र, बैंकिंग, आईटी, आदि जैसी उप-क्षेत्रीय गतिविधियां शामिल हैं, का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण, लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर उनके प्रभाव को दर्शाते हुए एक विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

क्यूईएस के दूसरे दौर (जुलाई-सितंबर, 2021) से नौ चयनित क्षेत्रों में कुल रोजगार की अनुमानित संख्या लगभग 3.10 करोड़ है, जो कि क्यूईएस (1 अप्रैल, 2021) के पहले दौर के अनुमानित रोजगार (3.08 करोड़) से 2 लाख अधिक है।

* *****

अनुबंध

श्री जी.सी. चंद्रशेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव

क्रम सं.	क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)			
		लॉकडाउन से पहले (25 मार्च, 2020 से पहले)		1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	विनिर्माण	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	सन्निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4
4.	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7.	आवास एवं रेस्तरां	7	1.9	6.2	1.7
8.	आईटी/बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		217.8	90.0	201.5	83.3

नोट: " 'कुल' की पंक्ति में दी गई संख्या में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए उन 66 प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है जो नौ चयनित क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों से संबंधित हैं"।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 262

गुरूवार, 03 फरवरी, 2022 / 14 माघ, 1943

रोजगार की हानि

262. श्री के. जे. एल्फोंस:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 के कारण रोजगार की कितनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हानि हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा उन लोगों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनकी नौकरी चली गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): श्रम ब्यूरो को अखिल भारतीय प्रतिष्ठान आधारित तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के संघटक के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराने का कार्य सौंपा गया है। पहली तिमाही (अप्रैल-मई-जून, 2021) के दौरान कराया गया तिमाही रोजगार सर्वेक्षण 9 चयनित क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की प्रचालन स्थिति और नियोजन स्थिति पर कोविड-10 महामारी के प्रभाव संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए भी तैयार किया गया था। लॉकडाउन की अवधि के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों पर प्रभाव **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): नियोजनीयता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। देश में रोजगार सृजित करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमश: चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) में सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करना।

सरकार आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के भाग के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्म-निर्भर बनाने तथा देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घावधि योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और कोविड -19 महामारी के दौरान हुई रोजगार की क्षति से उबारने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। ईपीएफओ के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही इस योजना में नियोक्ताओं के

वित्तीय भार को कम करने तथा उन्हें और अधिक कामगारों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। दिनांक 20.11.2021 की स्थिति के अनुसार, 1.15 लाख प्रतिष्ठानाओं के माध्यम से 39.43 लाख लाभार्थियों को इसके लाभ प्रदान किए गए हैं।

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का शुभारम्भ शहरी क्षेत्रों में फेरी लगाने वाले फेरीवालों, जो कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, को उनका कामकाज बहाल करने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराने के लिए 01 जून, 2020 का किया गया था।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीमएजीकेवाई) के अंतर्गत भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत 100 कर्मचारियों तक की संख्या वाले प्रतिष्ठानों को ऐसे कर्मचारियों जिनकी आय 15000/- रुपये से कम है, के 90 प्रतिशत हेतु, मार्च से अगस्त, 2020 के मजदूरी माह के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों में से प्रत्येक के हिस्से के 12 प्रतिशत, कुल 24 प्रतिशत अंशदान का भुगतान किया है। इससे कोविड से प्रभावित अवधि के बाद के काल में ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार के संरक्षण को सहायता मिली है।

सरकार ने बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लौट चुके प्रवासी कामगारों और युवाओं सहित इसी प्रकार से प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए 20 जून, 2020 से 125 दिन चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) का शुभारम्भ किया था।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ, लाभ का दावा करने के लिए पात्रता की शर्तों में ढ़ील सहित 90 दिन तक देय औसत अर्जन के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्व-रोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। पीएमएमवाई के अंतर्गत 10 लाख रूपये तक के संपार्श्वमुक्त ऋणों का विस्तार सूक्ष्म /लघु व्यापार उद्यमों तथा व्यक्तियों तक किया जाता है ताकि वे अपनी व्यापारिक गतिविधियों की स्थापना या विस्तार करने में सक्षम हो सकें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पुनरोद्धार एवं शहरी परिवर्तन अभियान, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास और औद्योगिक कोरिडोर्स तथा उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को उत्पादक रोजगार के अवसरों के लिए सृजनोन्मुख बनाया गया है।

* *****

<u>**अनुबंध**</u>

श्री के. जे. एल्फोंस द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 262 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव

क्रम सं.	क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)			
		लॉकडाउन से पहले (25 मार्च, 2020 से पहले)		1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	विनिर्माण	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	सन्निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4
4.	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7.	आवास एवं रेस्तरां	7	1.9	6.2	1.7
8.	आईटी/बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		**217.8**	**90.0**	**201.5**	**83.3**

नोट: " 'कुल' में दी गई संख्या में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए उन 66 प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है जो नौ चयनित क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों से संबंधित हैं"।

*****

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.633

07.02.2022 को उत्तर देने के लिए

दार्जिलिंग में विकास परियोजनाएं/योजनाएं

633. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार की सभी चालू विकास परियोजनाओं/योजनाओं की स्थिति क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक इस संबंध में कितनी निधि आवंटित, संस्वीकृत और उपयोग में लाई गई?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का संचालन करता है। दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमपीलैड्स के अंतर्गत चालू विकासात्मक परियोजनाओं/कार्यों की स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है; और

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक एमपीलैड्स के अंतर्गत आवंटित, संस्वीकृत और उपयोग में लाई गई निधियों की स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 07.02.2022 को उत्तर देने के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 633 के भाग (क) के लिए अनुलग्नक		
विगत तीन वर्षों के लिए दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत सरकार की एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत चालू विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति		
1.	पेयजल सुविधा, हॉप गांव, धजय, सुखियापोखरी ब्लॉक, पोखरेबोंग ग्राम पंचायत - III	जारी की गई निधि । चालू है।
2.	सार्वजानिक शौचालय और स्वच्छता, सूम टीई, प्रथम प्रभाग गोडाउन धुरा, बिजनबाड़ी ब्लॉक, सिंगतम ग्राम पंचायत	जारी की गई निधि । चालू है।
3.	सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट, चंचल कोठी, सुखिया बाजार, पीओ, सुखियापोखरी	जारी की गई निधि । चालू है।
4.	पेयजल सुविधा, धजय सातवां माइल गांव ओक्यती, मिरिक, ग्राम पंचायत -I	जारी की गई निधि । चालू है।
5.	स्कूल अवसंरचना विकास, फुगरी हाई स्कूल, मिरिक	जारी की गई निधि । चालू है।
6.	दाह संस्कारस्थल /बर्निंग घाट का निर्माण, नेहोरेबालासुन टीई, पीओ, सोनाडा, कुर्सेओंग	जारी की गई निधि । चालू है।
7.	सार्वजनिक शौचालय और स्वच्छता, बॉटनिकल गार्डन चांदमारी, वार्ड 25/26 दार्जिलिंग	जारी की गई निधि । चालू है।
8.	वृद्धाश्रम, सुभाष ग्राम अपर सिंगतम, दार्जिलिंग	जारी की गई निधि । चालू है।
9.	सार्वजनिक शौचालय और स्वच्छता, ऊपरी सुंबक, झेपी जीपी, बिजनबाड़ी ब्लॉक	जारी की गई निधि । चालू है।
10.	स्कूल अवसंरचना विकास, अलुबारी, प्राइमरी स्कूल दार्जिलिंग ग्राम पंचायत -II	जारी की गई निधि । चालू है।
11.	पेयजल सुविधा, सीयोक, भासमेय टी एस्टेट रंगबांग, सुकिया ब्लॉक	जारी की गई निधि । चालू है।
12.	सार्वजनिक शौचालय एवं स्वच्छता, नवीन ग्राम, नार्थ प्वाइंट सिगामारी, वार्ड नं- 29 दार्जिलिंग	जारी की गई निधि । चालू है।
13.	पेयजल सुविधा, नेहल जोटे ग्राम मनीराम ग्राम पंचायत, नक्सलबाड़ी	जारी की गई निधि । चालू है।
14.	सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट, आजमबाब टी एस्टेट26/14	जारी की गई निधि । चालू है।
15.	पेयजल सुविधा राकमजोत ग्राम , बूथ 26/14	जारी की गई निधि । चालू है।
16.	पेयजल सुविधा, चितकोजोटे, हांडी बस्ती (मालाबारी), नक्सलबाड़ी	जारी की गई निधि । चालू है।
17.	गैरबास में पेयजल जलाशय, सुकियापोखरी जल स्रोत	जारी की गई निधि । चालू है।
18.	पेयजल सुविधा, छोटा मनीराम जोटे, मनीराम ग्राम पंचायत, नक्सलबाड़ी	जारी की गई निधि । चालू है।
19.	स्कूल अवसंरचना विकास, शारदा विद्या मंदिर, पीओ/पीएस नक्सलबाड़ी	जारी की गई निधि । चालू है।
20.	एम्बुलेंस, ग्रामीण अस्पताल नक्सलबाड़ी ब्लॉक	जारी की गई निधि । चालू है।

21.	स्कूल अवसंरचना विकास, वनवासी कल्याण आश्रम सालबारी	जारी की गई निधि । चालू है।
22.	फुटपाथ का निर्माण, धुसेनी, मिलिकथुंग टी एस्टेट, मिरिक	जारी की गई निधि । चालू है।
23.	नेहरू रोड, वार्ड नंबर 8, सिलीगुड़ी नगर पालिका परिषद के संतुलित हिस्से का उन्नयन	जारी की गई निधि । चालू है।
24.	दाह संस्कार स्थल /बर्निंग घाट का निर्माण, थानालिन, पुलबाजार ब्लॉक	जारी की गई निधि । चालू है।
25.	सड़क अवसंरचना का निर्माण, सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 1 सूर्य सेन कॉलोनी गेट बाजार पंचानन कॉलोनी	जारी की गई निधि । चालू है।
26.	पेयजल सुविधा (पंप की खरीद), पी.ओ. नॉर्थ पॉइंट सिंगमारी दार्जिलिंग	जारी की गई निधि । चालू है।
27.	पेयजल सुविधा, चिखुरजोटे, केतुबगर मौजा बूथ नंबर 25/16, लिपुल एरिया, नक्सलबाड़ी	जारी की गई निधि । चालू है।
28.	दाह संस्कार स्थल/ बर्निंग घाट का निर्माण, चंपासरी ग्राम पंचायत, पीएस प्रधान नगर, सदस्य ग्राम पंचायत	जारी की गई निधि । चालू है।
29.	स्कूल अवसंरचना विकास, क्षेत्रसिंह जोटे प्राथमिक विद्यालय, रामसली	जारी की गई निधि । चालू है।
30.	स्कूल अवसंरचना विकास, शारदा शिशु तीर्थ खारियाबारी, बुदसिंह जोटे बुरागंज पनिशाली जीपी, बतासी	जारी की गई निधि । चालू है।
31.	सड़क (गग्रीट) पोसितओं-दुकदेवपुर कांग्रेस कॉलोनी, सुइगछ, चंदानीडांगा भोलागछ, मझियाली	जारी की गई निधि । चालू है।
32.	गोबिंदपुर ग्राम पंचायत (रजुभिता+ अनाता नगर कॉलोनी), छोपरा, उत्तर दिनाजपुर में नाली	जारी की गई निधि । चालू है।
33.	मंगलुसाधुर, चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर में श्मशान घाट।	जारी की गई निधि । चालू है।
34.	दशपरा ग्राम पंचायत, छोपरा, उत्तर दिनाजपुर में दाह संस्कार स्थल का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
35.	नेहाल जोटे पीओ : नक्सलबाड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
36.	करम पूजा मैदान नगर हाथीघिसा एच.एस. स्कूल, हाथीघिसा, नक्सलबाड़ी	जारी की गई निधि । चालू है।
37.	हाथीघिसा नक्सलबाड़ी ब्लॉक के नजदीक हाथीघिसा एच.एस के पास स्कूल 30 मीटर के पास माजा नदी पर पैदल पुल का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
38.	सामुदायिक भवन, खालपारा, नक्सलबाड़ी ब्लॉक का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
39.	मां तारा राइस मिल से सुशील बसुनिया के घर तक सीमेंट कंक्रीट रोड, गोसाईंपुर ग्राम पंचायत, नक्सलबाड़ी ब्लॉक	जारी की गई निधि । चालू है।
40.	31. लघु पेयजल योजना, महेंद्र गांव, मिरिक, दार्जिलिंग	जारी की गई निधि । चालू है।
41.	रोटरी ट्रस्ट दार्जिलिंग में आपात स्थिति के लिए जलाशय	जारी की गई निधि । चालू है।
42.	दार्जिलिंग जिले में सुकना टॉवर का विकास।	जारी की गई निधि । चालू है।

43.	प्रांतिल कॉलोनी (मोधा शांति नगर को जोड़ने वाले), वार्ड नंबर 24, एसएमसी में जोरापानी नदी पर लकड़ी के पैदल पुल का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
44.	बाउंड्री वॉल का निर्माण, डंपिंग ग्राउंड, एसएमसी	जारी की गई निधि । चालू है।
45.	स्वामी चैतन्य विद्यालय, वार्ड 21, एसएमसी के सामने माणिक भादोपाध्याय सरानी में नाला एवं पुलिया का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
46.	सुभाष पल्ली बाजार, वार्ड 19, एसएमसी के किनारे बाउंड्री वाल का पुनर्निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
47.	एसएमसी के अंतर्गत एनटीएस मोड़ से फुलेश्वरी नदी, वार्ड संख्या 29 तक दोनों ओर के नाले का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
48.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 04 और 10 में लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट का सौंदर्यीकरण	जारी की गई निधि । चालू है।
49.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड संख्या 33 में I) बबूनी पोद्दार से सूत्रधार भवन, II) भोला कर्मकार से चक्रवर्ती हाउस और III) भास्कर कर्मकार से गोपाल कुंडू तक सड़क का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
50.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 04 में ज्योतिनगर कॉलोनी में चरक मठ (ग्राउंड) का सुधार।	जारी की गई निधि । चालू है।
51.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 32 में सरकार भंडार से सजना बेगम होकर पाइप लाइन तक रासमनी मिठाई की दुकान से बाबासाई समिति तक और बालाकामोप्रे से सुकांतपल्ली के टिन बट्ट मोरे तक शुरू होने वाली बिटुमिनस सड़क का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
52.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 39 के हैदरपारा मेन रोड से शुरू होकर दीपक चक्रवर्ती के घर तक ए.पी.सी. सरानी (बिटुमिनस सड़क) का विकास	जारी की गई निधि । चालू है।
53.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 42 के अंतर्गत नॉर्दर्न फ्लोर मिल से शुरू होकर पुराना जिला परिषद सड़क तक बिटुमिनस रोड का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
54.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड 31 के सीतलपारा से सड़क नंबर 51 और सड़क के बिटुमिनस रोड का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
55.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड संख्या 21 में रवींद्र संघ क्लब से शिब्बारी और निगमपल्ली ब्रिज (नया निर्मित) से दास पारा तक का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
56.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 46 के नेताजी नगर में बिटुमिनस रोड (नेताजी नगर मेन रोड) का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
57.	नाली, पुलिया एवं 5 नं. भजन मंडल हाउस से शुरू होकर अमृत सूत्रधार हाउस तक स्लैब और महानंदा स्कूल के पीछे पेवर ब्लॉक फुटपाथ, वार्ड नंबर 41 एसएमसी	जारी की गई निधि । चालू है।
58.	वार्ड नंबर 02, एसएमसी में मुक्ता मंच खेल मैदान का विकास	जारी की गई निधि । चालू है।

59.	वार्ड नंबर 02, एसएमसी में मुक्ता मंच का विकास	जारी की गई निधि । चालू है।
60.	वार्ड नंबर 43, एसएमसी में बच्चों के पार्क का विकास	जारी की गई निधि । चालू है।
61.	एसएमसी के वार्ड नंबर 41 में सेवक रोड (विशाल सिनेमा हॉल के सामने) से शुरू बिटुमिनस रोड राजेंद्र गैरेज लेन का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
62.	वार्ड संख्या 04, एसएमसी में ज्योतिनगर कॉलोनी में चरक मठ (ग्राउंड) में ओपन ग्राउंड स्टेट का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
63.	वार्ड संख्या 46, एसएमसी में प्रोमद नगर कॉलोनी में नाली और बिटुमिनस सड़क का निर्माण, सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या 03 में रामनारायण खेल मैदान का विकास	जारी की गई निधि । चालू है।
64.	एसएमसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 में सूरज शान स्टोर और पान पति भवन के माध्यम से दरभंगा टॉल में जॉयमणि भवन के बगल में एच सी रोड से इमामबाड़ा तक सड़क का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
65.	एसएमसी के अंतर्गत कुलीपारा, सिलीगुड़ी, वार्ड नंबर 01 में कृचंद्र बर्निंग घाट पर मौजूदा श्मशान परिसर (मौजूदा विद्युत् भट्टी को छोड़कर) का विकास और विस्तार।	जारी की गई निधि । चालू है।
66.	सिलीगुड़ी नगर निगम, सिलीगुड़ी (फेज -II) के अंतर्गत वार्ड नं. 01 एवं 47 के बीच एवं जोड़ने वाली पंचनोई नदी पर पुल का निर्माण।	जारी की गई निधि । निधि।
67.	एसएमसी के वार्ड नं. 28 के सरबहारा कॉलोनी में फोर सीटेड कम्युनिटी लैट्रिन, डस्टबिन, सीसी फ्लोर का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
68.	डब्ल्यू/एन 1 पर किरणचंद्र श्मशान में नई विद्युत भट्टी की स्थापना	जारी की गई निधि । चालू है।
69.	केदार प्रसाद रोड पर सड़क का विकास, निर्मल घोष के घर से विद्यासागर रोड से होते हुए खल;पारा टॉप और बापी घोष का घर, वार्ड 07, एसएमसी	जारी की गई निधि । चालू है।
70.	सिलीगुड़ी पत्रकार प्रेस क्लब, सिलीगुड़ी का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
71.	माटीगरा द्वितीय ग्राम पंचायत माटीगाड़ा ब्लॉक, दार्जिलिंग के प्रणोद नगर संसद में 200 मीटर लंबी सड़क और 55 मीटर लंबी नाली का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
72.	दीपू बारिक के घर से बीजानगर टी.ई. पीएमजीएसवाई रोड तक नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत सड़क का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
73.	बिन्नागुरी ग्राम पंचायत, खारीबाड़ी ब्लॉक में उल्लरजोत संसद में मेची नदी की शाखा के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
74.	फांसीदेवा ब्लॉक में बिनादननगर ग्राम पंचायत II में मेलागछपी स्कूल से दखिन मल्लागच के पास सड़क का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।

75.	नक्सलबाड़ी ब्लॉक में डंगोराजोटे घोसियानपुर ग्राम पंचायत में लेधीमारी कालमिंधीर से रंगित बर्मा के घर होते हुए आशिनाथ सिन्हा के घर तक सड़क का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
76.	फांसीदेवा ब्लॉक, जिला दार्जिलिंग में टूना नदी पर घोषपुकुर ग्राम पंचायत में सस्पेंशन ब्रिज, गयागंगा ग्रेमिट लाइन का निर्माण।	जारी की गई निधि । चालू है।
77.	खालपारा, नक्सलबाड़ी, जिला दार्जिलिंग में सामुदायिक भवन का निर्माण	जारी की गई निधि । चालू है।
78.	आर. के. पारा माटीगाड़ा ग्राम पंचायत -II द्वितीय, जिला दार्जिलिंग में सीसी नाली का निर्माण ।	जारी की गई निधि । चालू है।

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 07.02.2022 को उत्तर देने के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 633 के भाग (ख) के लिए अनुलग्नक			
दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में वित्तीय वर्ष वार डाटा			
वित्तीय- वर्ष	**भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि (रु. करोड़ में)**	**संस्वीकृत कार्यों की लागत (रु. करोड़ में)#**	**वास्तविक उपगत व्यय (रु. करोड़ में)***
2018-19	2.50	3.94	4.64
2019-20	2.50	3.51	0.58
2020-21	0.00	2.54	3.64
2021-22 (दिसंबर, 2021 के अनुसार)	0.00	0.00	0.88
कुल	**5.00**	**9.99**	**9.74**

संस्वीकृत कार्य की लागत जारी की गई निधि से अधिक हो सकती है। यह असंगत नहीं है क्योंकि जिला प्राधिकारी पिछले वित्तीय वर्षों की एमपीलैड्स निधि की उपयोगिता हेतु एक वित्तीय वर्ष में कार्यों को मंजूरी दे सकता है।

*व्यय तदनुरूपी अवधि में जारी निधियों से अधिक हो सकता है। यह असंगत नहीं है क्योंकि एमपीलैड्स के अंतर्गत निधि अव्यपगत है और अव्ययित निधि के साथ-साथ **जिला स्तर पर उपार्जित ब्याज** का उपयोग बाद के वर्षों में किया जाता है।

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1046

गुरूवार, 10 फरवरी, 2022 / 21 माघ, 1943 (शक)

महामारी के दौरान नौकरियां छूटना

1046. डॉ. सांतनु सेन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश में नौकरियां छूटने के विषय पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महामारी के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कामगारों को काम से निकाले जाने के संबंध में शिकायतों पर संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम ब्यूरो को अखिल भारतीय प्रतिष्ठान आधारित तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के संघटक के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराने का कार्य सौंपा गया है। पहली तिमाही (अप्रैल-मई-जून, 2021) के दौरान कराया गया तिमाही रोजगार सर्वेक्षण 9 चयनित क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की प्रचालन स्थिति और नियोजन स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए भी तैयार किया गया था। लॉकडाउन की अवधि के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों पर प्रभाव **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) के संगठन ने बर्खास्तगी/बेरोजगारी के संबंध में कामगारों से प्राप्त शिकायतों में सुलह की कार्यवाही का संचालन किया। केन्द्रीय क्षेत्र में बर्खास्त किए गए कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा तथा मामले में की गई कार्रवाई अनुबंध-II में दी गई है।

**

*****

अनुबंध-I

श्री सांतनु सेन द्वारा पूछे गए दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1046 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव

क्रम सं.	**क्षेत्र**	**कर्मचारियों की संख्या (लाख में)**			
		लॉकडाउन से पहले (25 मार्च, 2020 से पहले)		**1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार**	
		पुरुष	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**
1.	विनिर्माण	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	सन्निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4
4.	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7.	आवास एवं रेस्तरां	7	1.9	6.2	1.7
8.	आईटी/बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		**217.8**	**90.0**	**201.5**	**83.3**

नोट: " 'कुल' में दी गई संख्या में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए उन 66 प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है जो नौ चयनित क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों से संबंधित हैं"।

अनुबंध-II

श्री सांतनु सेन द्वारा पूछे गए दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1046 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

केन्द्रीय क्षेत्र में बर्खास्त किए गए कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा तथा मामले में की गई कार्रवाई

राज्य का नाम	छंटनी किए गए कामगारों/कर्मचारियों की संख्या	की गई कार्रवाई
अजमेर (राजस्थान)	19	क) 5 कर्मचारियों को बहाल किया गया ख) 9 कामगारों ने सलाह के बाद भी कोई विवाद नहीं उठाया ग) औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय से संपर्क करने के अनुरोध पर 1 कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2क के तहत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। घ) 1 कामगार की शिकायत/विवाद अन्य क्षेत्र (नागपुर) में स्थानांतरित कर दी गयी थी। ङ) 1 शिकायत/विवाद शिकायत द्वारा वापस ले लिया गया था। च) 2 कामगारों के मामले अन्यथा निपटाए गए क्योंकि उन्हें पूरा मुआवजा मिला था।
चण्डीगढ़ (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश)	51	क) इस कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद 35 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया। ख) 01 कार्यकर्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत औद्योगिक विवाद दर्ज नहीं कराया, इसलिए सुलह शुरू नहीं की जा सकी। ग) 15 कामगारों में से - i) 06 ने सेवा से इस्तीफा दे दिया था, ii) परियोजना की समाप्ति होने के कारण 08 कामगारों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, iii) परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन के मुद्दे के कारण 01 कर्मचारी की सेवा में पुष्टि नहीं की गई।
चेन्नई (तमिलनाडु)	250	अनुरोध करने के बाद सभी 250 कामगारों को बहाल कर दिया गया।
कोचिन (केरल)	798	(क) 127 कामगारों को बहाल कर दिया गया है। (ख) 67 कामगारों को बर्खास्त कर दिया गया था, यद्यपि छंटनी का मुआवजा और अन्य देयों का उन्हें भुगतान कर दिया गया था। स्थिति बेहतर होने पर उक्त पर पुन: रोजगार के लिए विचार किया जाएगा। (ग) 4 कामगारों जिनकी छंटनी की गई थी, उन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान ही बहाल कर दिया गया था। (घ) 600 कामगारों जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, के संबंध में मामले को सुलह के लिए उठाया गया था और यह विफल रहा।
देहरादून (उत्तराखण्ड)	173	(क) 19 कामगारों को बहाल किया गया (ख) 15 कामगारों के मामले परिणामस्वरूप अन्यथा निपटान (ओडी) में चले गए.. (ग) 2 सुलह में विफलताएं (एफओसी) (घ) 2 समझौता ज्ञापन (एमओएस)

		(ङ) 135 कामगारों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया
धनबाद (झारखण्ड)	10	सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप द्वारा सभी 10 कामगारों को बहाल कर दिया गया था।
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	251	क) 2 कामगारों को लाभ प्राप्त हुए ख) 110 कामगार सलाह/नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए ग) 1 को न्यायालय में भेजा गया घ) 2 कामगारों ने पुन: कार्यग्रहण करने से इन्कार कर दिया ङ) 21.06.2021 को 136 मामले बंद कर दिए गए हैं क्योंकि विवाद के याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1526	क) 1421 बहाल किए गए ख) 27 कामगारों का मामला राज्य को स्थानांतरित कर गया। ग) 54 कामगारों को समाधान पोर्टल के माध्यम से शिकायतें करने की सलाह दी गई थी। घ) 15 कामगारों के मामले में समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किया गया। ङ) 6 कामगारों के मामले का अन्यथा निपटान कर दिया गया। च) सुलह की विफलता (एफओसी) 3
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	330	मैसर्स रिलायंस जियो, कोलकाता के ठेकेदार मैसर्स टेली पर्फोर्मेन्स लि. के सभी 330 कामगारों को बहाल किया गया।
मुंबई (महाराष्ट्र)	1087	(क) 995 कामगार बहाल किए गए (ख) 66 कामगारों के मामले में सचिव, भारत सरकार को प्रपत्र-पी (छंटनी का नोटिस)भेजा गया। (ग) 23 कामगारों के मामले का निपटान किया गया तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-क के अंतर्गत प्रमाण-पत्र जारी किए गए (घ) 1 कामगार को 19000 रुपये तक की राशि का छंटनी का लाभ प्राप्त हुआ (ङ) 1 कामगार का मामला राज्य को स्थानांतरित किया गया (च) 1 कामगार के मामले में, औद्योगिक विवाद का निपटान किया गया तथा कामगार को बहाल किया गया।
नई दिल्ली	1117	सुलह अधिकारी के प्रयासों द्वारा सभी 1117 कामगारों को उनके नियोजकों द्वारा पुन:नियोजित कर लिया गया है।
पटना (बिहार)	24	(क) 5 कामगारों को बहाल कर दिया गया है (ख) 2 कामगार उपस्थित नहीं हुए (ग) सुलह की विफलता (एफओसी) 4 (घ) 2 कामगारों को पूर्ण और अंतिम निपटान दिया गया (ङ) 9 कामगारों का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है (च) 2 कामगारों के मामले में समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किया गया।
रायपुर (छत्तीसगढ़)	23	सभी 23 कामगारों को बहाल कर दिया गया है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1058

गुरूवार, 10 फरवरी, 2022 / 21 माघ, 1943 (शक)

कोविड-19 के कारण नौकरियां छूट जाना

1058. श्री एम. वी. श्रेयम्स कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से अब तक देश में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां छूट जाने के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां चली जाने की समस्या का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए क्या-क्या कार्यनीति बनाई गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम ब्यूरो को अखिल भारतीय प्रतिष्ठान आधारित तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के संघटक के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराने का कार्य सौंपा गया है। पहली तिमाही (अप्रैल-मई-जून, 2021) के दौरान कराया गया तिमाही रोजगार सर्वेक्षण 9 चयनित क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की प्रचालन स्थिति और नियोजन स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए भी तैयार किया गया था। लॉकडाउन की अवधि के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों पर प्रभाव **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): नियोजनीयता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। देश में रोजगार सृजित करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमश: चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) में सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करना।

सरकार आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के भाग के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्म-निर्भर बनाने तथा देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घावधि योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और कोविड -19 महामारी के दौरान हुई रोजगार की क्षति से उबारने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के

भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। ईपीएफओ के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही इस योजना में नियोक्ताओं के वित्तीय भार को कम करने तथा उन्हें और अधिक कामगारों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। दिनांक 29.01.2022 की स्थिति के अनुसार, 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को इसके लाभ प्रदान किए गए हैं।

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का शुभारम्भ शहरी क्षेत्रों में फेरी लगाने वाले फेरीवालों, जो कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, को उनका कामकाज बहाल करने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराने के लिए 01 जून, 2020 को किया गया था।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीमएजीकेवाई) के अंतर्गत भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत 100 कर्मचारियों तक की संख्या वाले प्रतिष्ठानों को ऐसे कर्मचारियों जिनकी आय 15000/- रुपये से कम है, उन 90 प्रतिशत हेतु, मार्च से अगस्त, 2020 के मजदूरी माह के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों में से प्रत्येक के हिस्से के 12 प्रतिशत, कुल 24 प्रतिशत अंशदान का भुगतान किया है। इससे कोविड से प्रभावित अवधि के बाद के काल में ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार के संरक्षण को सहायता मिली है।

सरकार ने बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लौट चुके प्रवासी कामगारों और युवाओं सहित इसी प्रकार से प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए 20 जून, 2020 से 125 दिन चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) का शुभारम्भ किया था।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ, लाभ का दावा करने के लिए पात्रता की शर्तों में ढ़ील सहित 90 दिन तक देय औसत अर्जन के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्व-रोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। पीएमएमवाई के अंतर्गत 10 लाख रूपये तक के संपार्श्वमुक्त ऋणों का विस्तार सूक्ष्म /लघु व्यापार उद्यमों तथा व्यक्तियों तक किया जाता है ताकि वे अपनी व्यापारिक गतिविधियों की स्थापना या विस्तार करने में सक्षम हो सकें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पुनरोद्धार एवं शहरी परिवर्तन अभियान, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास और औद्योगिक कोरिडोर्स तथा उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को उत्पादक रोजगार के अवसरों के लिए सृजनोन्मुख बनाया गया है।

* *****

<u>अनुबंध</u>

श्री एम. वी. श्रेयम्स कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1058 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव

क्रम सं.	क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)			
		लॉकडाउन से पहले (25 मार्च, 2020 से पहले)		1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	विनिर्माण	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	सन्निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4
4.	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7.	आवास एवं रेस्तरां	7	1.9	6.2	1.7
8.	आईटी/बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		**217.8**	**90.0**	**201.5**	**83.3**

नोट: " 'कुल' में दी गई संख्या में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए उन 66 प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है जो नौ चयनित क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों से संबंधित हैं"।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1059

गुरुवार, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (शक)

ईपीएफओ के अंतर्गत पेंशन बढ़ाने की मांग

1059. श्री संजय सेठ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क). क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों की पेंशन बढ़ाने की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है;

(ख). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग). क्या ईपीएफओ पेंशनधारकों की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की योजना बना रहा है; और

(घ). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत पेंशनधारकों के साथ-साथ पेंशनधारक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में, ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनधारकों को बजटीय सहायता, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी, उपलब्ध कराकर 1000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के 1.16 प्रतिशत सांविधिक अंशदान और 1000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए ईपीएफओ को जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	1.16% अंशदान	न्यूनतम पेंशन के लिए सहायता अनुदान	कुल
2018-19	3900.00	1000.00	4900.00
2019-20	3696.67	1400.00	5096.67
2020-21	6027.61	1491.40	7519.01
2021-22 (31.01.2022 तक)	6364.00	1000.00	7364.00

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 177

गुरुवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)

ईपीएफ पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग

***177. श्री एम. शनमुगम:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रमिक संघों और जन-प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों की ओर से ईपीएफ पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने के संबंध में मांगे प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो हितधारकों की मांगे क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि और वेतन में बढ़ोतरी के मद्देनजर ईपीएफ धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाए जाने के तर्कसंगत कारण क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

"ईपीएफ पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग" के संबंध में श्री एम. शनमुगम, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछा गया, दिनांक 17.03.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 177 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से अंशदान से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और दिनांक 31.03.2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार, बीमांकिक घाटा हुआ है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्न सूत्र के अनुसार किया जाता है:

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा X पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि एक पूर्वनिर्धारित फार्मूले पर आधारित है। तथापि, सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में, ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनधारकों को बजटीय सहायता, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी, उपलब्ध कराकर 1000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करते हुए, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) का गठन किया। समिति ने ईपीएस, 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस, 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवन-यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1837

गुरूवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)

ईपीएफओ में पेंशन के पात्र सदस्यों का विवरण

1837. श्री के. सोमप्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतन प्रतिमाह 15000 रूपये या उससे अधिक है, कोई नई पेंशन योजना शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में ईपीएफओ योजना में कुल पेंशनभोगी सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 2014 में ईपीएफओ संशोधन के परिणामस्वरूप पेंशन से बाहर किए गए व्यक्तियों की संख्या और विवरण है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार केरल उच्च न्यायालय के उच्च अंशदान के लिए उच्च पेंशन की अनुमति देने के आदेश से सहमत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): जी, नहीं। वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत् लाभान्वित होने वाले पेंशनभोगियों की कुल संख्या 6919823 है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के तहत् कवरेज के लिए वेतन सीमा को दिनांक 01.09.2014 से 6500/- रुपये से बढ़ाकर 15000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ईपीएफ के दायरे में अधिक कर्मचारियों को शामिल किया जा सके।

(घ): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत् अधिक पेंशन देने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1840
गुरूवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत रोजगार के अवसर

1840. श्री इरण्ण कडाडिः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो भारत में विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में इस योजना को कब तक सहायक होने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की कुल अवधि अर्थात वर्ष 2020 से वर्ष 2023 के लिए कितना व्यय संस्वीकृत किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-**19** महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई हैं। भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 है।

28.02.2022 को, देश में 1.32 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। कर्नाटक राज्य में, 9265 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 4.02 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

(ग): योजना की संपूर्ण अवधि के लिए स्वीकृत बजट परिव्यय 22,098.72 करोड़ रुपए है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1844

गुरूवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि में नामांकन में वृद्धि

1844. श्री के.जे.एल्फोंस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विगत तीन महीनों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि में नामांकन बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो यह अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में क्या संकेत देता है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रत्येक माह पे-रोल डेटा प्रकाशित किया जाता है जिसके माध्यम से नेट पे-रोल निर्धारित करने के लिए आधार प्रमाणिक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि में अभिदाताओं के रूप में शामिल किए जाने वाले और मौजूदा अभिदाता जो पहले बाहर हुए फिर बाद में शामिल किए गए उनसे संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। 2022 को प्रकाशित नवीनतम पे-रोल के अनुसार (दिसम्बर, 2021 के मजदूरी माह तक) पिछले तीन मजदूरी माह के लिए नेट पे-रोल का विवरण निम्नानुसार है:-

मजदूरी माह 2021	कर्मचारी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संख्या	बाहर हुए सदस्यों की संख्या	बाहर होने वाले वैसे सदस्यों की संख्या जो बाद में शामिल हुए और पुन: अंशदान किया	नेट पे-रोल [(2+4)-3]
1	2	3	4	5
अक्टूबर	818356	838108	1010541	990789
नवम्बर	873808	694065	1037403	1217173
दिसम्बर	911258	449517	998655	1460396

टिप्पणी: ईपीएफओ द्वारा प्रकाशित नेट पे-रोल डेटा अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के अभिलेखों का अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसे उत्तरवर्ती माहों में अद्यतन किया जाता है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 प्रतिष्ठानों की 197 श्रेणियों/उद्योगों की अनुसूची में से किसी एक में 15000/- रूपये तक मासिक ईपीएफ वेतन पाने वाले और जिनसे सदस्यों के रूप में सांविधिक रूप से नामांकित होने की अपेक्षा होती है, वैसे 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों एवं प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। ईपीएफओ का मासिक नेट पे-रोल डेटा अर्थव्यवस्था के संगठित/औपचारिक क्षेत्रों में नियोजन तथा रोजगार सृजन की पद्धति और रूझान को दर्शाता है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1849

गुरूवार, 17 मार्च, 2022 / 26 फाल्गुन, 1943 (शक)

विभिन्न श्रम संहिताओं के तहत नियमों का प्रकाशन

1849. श्री एम. शनमुगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न श्रम संहिताओं के तहत नियमों के प्रकाशन और नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा की गई शिकायतों और जताई गई आपत्तियों को इनके कार्यान्वयन से पहले ही सुलझा लिया गया था;

(ग) क्या विभिन्न श्रम संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी मजदूर संगठनों से चर्चा के लिए बैठक बुलाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): "श्रम" संविधान की समवर्ती सूची में है और 4 श्रम संहिताओं के तहत, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी नियम बनाया जाना आवश्यक है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए, 4 श्रम संहिताओं के तहत नियमों का मसौदा प्रकाशित किया है। आदिनांक, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के उपबंधों और मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 42 और 67 के तहत निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से संबंधित उपबंध लागू हो गए हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 27, 23, 21 और 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों का पूर्व-प्रकाशन किया है।

(ग) और (घ): सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए; 4 श्रम संहिताओं के तहत बनाए गए मसौदा नियमों पर चर्चा करने के लिए तीन त्रिपक्षीय बैठकें क्रमशः 24 दिसंबर, 2020, 12 जनवरी, 2021 और 20 जनवरी, 2021 को भी आयोजित की गई थी।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1852

गुरूवार, 17 मार्च, 2022 (26 फाल्गुन, 1943 (शक))

निजी कंपनियों में कामगारों की सुरक्षा

1852. डा. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ राज्यों में निजी कंपनियों में कार्यरत कामगारों की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी कंपनियां काम के दौरान इन कामगारों के दुर्घटनाग्रस्त और नि:शक्त होने की स्थिति में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा (परिचर्या) प्रदान नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों से ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं; और

(ड.) कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नि:शक्तों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को उनके तहत रोजगार की शर्तों को पर्याप्त सटीकता के साथ परिभाषित करने और उनके द्वारा नियोजित कामगारों को उक्त शर्तों से अवगत कराने हेतु अधिदेशित करता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कारखानों, पत्तनों, खानों, निर्माण आदि में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं उनके हितों के संरक्षण हेतु विभिन्न अधिनियमों का अधिनियमन किया है। महत्वपूर्ण अधिनियम: कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 हैं।

जब भी विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पात्र लाभों से वंचित होने से संबंधित किसी भी घटना की सूचना निरीक्षण के दौरान दी या पहचान की जाती है, तो केंद्र/राज्य सरकार की प्रवर्तन तंत्र अपने अधिकार क्षेत्र में लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई करती है।

(ख) से (ङ): औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियम, 1946 की अनुसूची आईबी, नियोक्ताओं को अपने रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न होने वाली दुर्घटना में घायल हुए कर्मकार को तत्काल और आवश्यक चिकित्सा सहायता के लिए संतोषजनक व्यवस्था करने के लिए अधिदेशीत अनिवार्य करती है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 में कुछ स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं शामिल हैं, जिनका आम तौर पर कामगारों को सामना करना पड़ता है; जैसे बीमारी, अस्थायी या स्थायी निःशक्तता, व्यावसाय जनित बीमारी या रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी या उपार्जन क्षमता में सम्पूर्ण या आंशिकरूप से नुकसान होता है।ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत यथा प्रदान किए गए चिकित्सा लाभ और निःशक्तता लाभ अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए कामगार, यदि वे कार्य के दौरान दुर्घटना या निःशक्तता के शिकार होते हैं, को उनके बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से प्रदान किए जाते हैं।

उन कर्मचारियों के मामले में जो ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, उनके नियोक्ताओं द्वारा उनके रोजगार के दौरान और उनके कारण होने वाली व्यक्तिगत चोट/मृत्यु/व्यावसाय जनित बीमारी के लिए मुआवजे के भुगतान का उपबंध करता है।अधिनियम, जिसे राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है, का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों को यदि रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण चोट लगती है जिसके परिणामस्वरूप कामगार की मृत्यु होती है या निःशक्त हो जाता है, को मुआवजे के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और निःशक्तता कवर भी प्रदान किया जाता है। दिनांक 27.10.2021 की स्थिति के अनुसार, कुल 11,29,37,095 और 25,83,92,169 सदस्यों ने क्रमशः पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत नामांकन किया है। इसके अलावा, दिनांक 27.10.2021 की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत क्रमश: 10,258 करोड़ रुपये के 5,12,915 दावों और 1,797 करोड़ रुपये के 92,266 दावों का वितरण किया गया है।

सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो दिनांक 19.04.2017 को लागू हुआ। यह अधिनियम निःशकत व्यक्तियों के लिए विभिन्न अधिकार और हक प्रदान करता है और निजी क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार को भी प्रोत्साहित करता है।

सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र भी शुरू किए हैं, जो निःशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल देश भर में पीडब्ल्यूडी सहित सभी श्रेणियों के नौकरी के ईछुक व्यक्तियों को रोजगार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1858

गुरूवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

1858. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क): देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख): असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की कार्यस्थल पर स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग): क्या इन कदमों में शिशु गृह और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के प्रावधान भी शामिल हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकडें एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) में कामगारों के बीच स्वामित्व और साझेदारी (पी और पी) उद्यमों (अनौपचारिक उत्पादकों की सहकारी समितियों सहित, जिन्हें आमतौर पर अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में माना जाता है) में कार्यरत कामगारों में से महिला कामगारों का प्रतिशत गैर-कृषि क्षेत्र में 56.5 है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य माहौल के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक उपबंध शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से शिशुगृह सुविधा का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ

....जारी 2/-

महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने खुली खानों सहित भूमि के ऊपर की खानों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य तथा भूमिगत खानों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के मध्य तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, महिलाओं के नियोजन को अनुमति देने का निर्णय लिया है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है और समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए भर्ती करते समय या भर्ती के बाद सेवा की कोई शर्त जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण में महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव को भी रोकता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 अब मजदूरी संहिता, 2019 में समामेलित हो गया है, जिसमें यह उपबंधित है कि एक ही नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी नियोक्ता समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी कर्मचारी को भर्ती करते समय रोजगार की शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे काम में महिलाओं का नियोजन उस समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा अथवा उसके अंतर्गत निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित है।

महिला कामगारों की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए, सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2491

गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)

ईपीएफओ वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की मांग

2491. श्री जॉन ब्रिटास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार नियोक्ता के अंशदान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि वेतन की मौजूदा अधिकतम सीमा, 15,000/-रुपये, को बढ़ाने की बढ़ती मांग पर उदारता से विचार करेगी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों को भी कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान करने की अनुमति देने के विकल्प पर विचार करेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की मौजूदा जीवनयापन की लागत को देखते हुए कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 10,000/-रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की योजना है।

(च) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 15000/-रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ज) ईपीएफओ के पास कितनी धनराशि जमा है जिस पर किसी ने दावा नहीं किया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 1952 के तहत कवर करने के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में, यह 15000/-रुपये प्रतिमाह है।

(ग) और (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के पैरा 3 के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस)i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और)ii) वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से अंशदान से बना है। इस प्रकार, कर्मचारियों की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कोई अंशदान नहीं किया जाता है।

(ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक 'परिभाषित अंशदानपरिभाषित लाभ-' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस) i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान;

और)ii) 15,000/- रुपये प्रति माह तक वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से अंशदान से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथाअधिदेशित निधि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 2020 से निधि को बीमांकिक घाटा हुआ है। हालांकि, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस की ओर से सालाना प्रदान की जाने वाली मजदूरी के 1.16% के बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

(च): जी नहीं।

(छ): प्रश्न नहीं उठता।

(ज): कर्मचारी भविष्य निधि 1952 योजना (ईपीएफ)के अनुच्छेद 72(6) के अनुसार कतिपय खातों को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा ऐसे खातों के निश्चित दावेदार होते हैं। दिनांक 'निष्क्रिय खातों' 31.03. की स्थिति के अनुसार इन निष्क्रिय 2021खातों में 3930.-गैर) राशि की रुपये करोड़ 85 थी। पड़ी (लेखापरीक्षित

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2498

गुरुवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1943 (शक)

श्रम पहचान संख्या योजना की स्थिति

2498. श्री सुजीत कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम पहचान संख्या योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने वाले नियोक्ताओं/प्रतिष्ठानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों के ऐसे कोई श्रम संगठन (श्रम सुविधा पोर्टल पर आइडेंटिफायर्स) है जिन्हें इस योजना की परिधि में शामिल नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के श्रम निरीक्षण संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन 72 घंटों के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए हों, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): दिनांक 21.03.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 35,27,962 प्रतिष्ठानों को श्रम पहचान संख्या (लिन) आवंटित की गई है। राज्यवार सूची अनुबंध में दी गई है। विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अनुपालना के लिए श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) पर स्वयं को पंजीकृत करने वाले प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (लिन) आवंटित की जाती है।

(ग): कुछ मामलों में तकनीकी समस्याओं, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसे कारणों से विनिर्दिष्ट समय-सीमा के पश्चात निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*   ****

अनुबंध

'श्रम पहचान संख्या योजना की स्थिति' के संबंध में श्री सुजीत कुमार द्वारा पूछे दिनांक 24.03.2022 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2498 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

क्रम.सं.	राज्य	कुल श्रम पहचान संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2168
2.	आंध्र प्रदेश	89230
3.	अरुणाचल प्रदेश	3072
4.	असम	46301
5.	बिहार	60779
6.	चंडीगढ़	10985
7.	छत्तीसगढ़	49058
8.	दादरा और नगर हवेली	2488
9.	दमन और दीव	1554
10.	दिल्ली	198300
11.	गोवा	11284
12.	गुजरात	166214
13.	हरियाणा	432115
14.	हिमाचल प्रदेश	34849
15.	जम्मू और कश्मीर	16456
16.	झारखंड	54028
17.	कर्नाटक	207689
18.	केरल	86265
19.	लक्षद्वीप	35
20.	मध्य प्रदेश	104904
21.	महाराष्ट्र	865336
22.	मणिपुर	1726
23.	मेघालय	4145
24.	मिजोरम	597
25.	नागालैंड	1687
26.	ओड़ीशा	71350
27.	पुदुचेरी	6835
28.	पंजाब	100508
29.	राजस्थान	143854
30.	सिक्किम	1220
31.	तमिलनाडु	228942
32.	तेलंगाना	122890
33.	त्रिपुरा	3069
34.	उत्तराखंड	202816
35.	उत्तर प्रदेश	33941
36.	पश्चिम बंगाल	160920
37.	लद्दाख	352
	कुल	**3527962**

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3289
गुरूवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत योजना की विशेषताएँ

3289. श्री नरहरी अमीनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात में संस्वीकृत/आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात में पंजीकृत लोगों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी।

इस योजना के तहत, निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना के तहत सभी पात्र प्रतिष्ठानों को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 22-2021 के दौरान अंतिम अनुमान के तहत 4180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 20.03.2022 को, गुजरात राज्य में लाभार्थियों को 451.12 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना है। 20.03.2022 को, देश में 1.37 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 54.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

गुजरात में इस योजना के तहत 20.03.2022 तक पंजीकृत और लाभान्वित व्यक्तियों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा के दिनांक 31.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क.सं.	गुजरात में एबीआरवाई के तहत पंजीकृत और लाभान्वित कर्मचारियों की जिला-वार संख्या	
	जिला	**पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या**
1	वलसाद	63,419
2	वडोदरा	69,099
3	तापी	814
4	सुरेंद्रनगर	7246
5	सूरत	1,17,310
6	सबर कंथा	4132
7	राजकोट	43,191
8	पोरबंदर	3183
9	पटना	1869
10	पंच महल	8,026
11	नई दिल्ली	5
12	नवसारी	3226
13	नर्मदा	338
14	मोरबी	1036
15	मेहसाना	30,099
16	खेड़ा	3423
17	कच्छ	41,349
18	जूनागढ़	3974
19	जामनगर	31,197
20	गुजरात	47
21	गिर सोमनाथ	307
22	गांधीनगर	20,778
23	दोहाद	254
24	दीव	93
25	देवभूमि द्वारका	1067
26	डांग	186
27	दमन और दीव	375
28	दमन	22,905
29	दादरा और नगर हवेली	41,725
30	छोटे उदयपुर	76
31	बोटाड	132
32	भावनगर	11,294
33	भरूच	40,600
34	बनास कंथा	5725
35	अरावली	85
36	आनन्द	6786
37	अमरेली	3196
38	अहमदाबाद	1,75,603
	योग	**7,64,170**

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *381
गुरूवार, 7 अप्रैल, 2022/17 चैत्र, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

***381. श्री सुशील कुमार मोदीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से विभिन्न श्रेणियों के कितने प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं और 1 अक्टूबर, 2020 के बाद उनके द्वारा की गई नई भर्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अधीन कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई;

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास पड़ी विभिन्न श्रेणियों की बिना दावे वाली जमाराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार बिना दावे की ऐसी निधि में से कितनी धनराशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित कर रही है और कितनी धनराशि अंतरित नहीं की जाएगी; और

(च) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना" के संबंध में श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 07-04-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *381 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और 1 अक्तूबर, 2020 के बाद नई भर्तियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): 30.03.2022 की स्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2021-22 तक, 5180 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है तथा 4387.05 करोड़ रु. का लाभ नए कर्मचारियों के आधार नंबर से जुड़े सार्वभैमिक लेखा संख्या (यूएएन) में जमा कर दिया गया है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में बिना दावे वाली कोई जमाराशि नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार, कुछ खातों को "निष्क्रिय खातों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित रूप से दावेदार हैं। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, निष्क्रिय खातों में कुल धनराशि 3930.85 करोड़ रु. है।

(ङ.) 31.03.2022 को सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में बिना दावे वाली 535.21 करोड़ रु. की धनराशि अंतरित की है।

(च) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूसी) के तहत निधि के उपयोग का ब्यौरा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु अनुबंध-III में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 07.04.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *381 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रतिष्ठान पंजीकृत	नए भर्ती होने वालों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1329	2944
2	आंध्र प्रदेश	57746	355567
3	अरुणाचल प्रदेश	2895	3151
4	असम	31271	74436
5	बिहार	46652	107296
6	चंडीगढ़	17725	147423
7	छत्तीसगढ़	26741	146839
8	दिल्ली	114151	864306
9	गोवा	7028	67256
10	गुजरात	137686	1294508
11	हरियाणा	87320	971664
12	हिमाचल प्रदेश	27904	130618
13	जम्मू और कश्मीर	20332	52503
14	झारखंड	32468	133151
15	कर्नाटक	137864	1637150
16	केरल	46126	235513
17	लद्दाख	450	739
18	मध्य प्रदेश	71450	354792
19	महाराष्ट्र	297684	2809371
20	मणिपुर	1556	2898
21	मेघालय	3237	6983
22	मिजोरम	358	879
23	नागालैंड	822	1410
24	ओडिशा	46675	202415
25	पंजाब	45388	236894
26	राजस्थान	75957	504058
27	सिक्किम	906	8525
28	तमिलनाडु	167390	1699301
29	तेलंगाना	87450	816666
30	त्रिपुरा	2001	7437
31	उत्तर प्रदेश	147790	808858
32	उत्तराखंड	19770	207217
33	पश्चिम बंगाल	98006	589591
	सकल योग	**1862128**	**14482359**

<u>**अनुबंध-II**</u>

राज्य सभा के दिनांक 07.04.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *381 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या (राज्य-वार) (30.03.2022 तक)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या**	**लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	35	466
2	आंध्र प्रदेश	3635	147693
3	अरुणाचल प्रदेश	13	130
4	असम	553	16919
5	बिहार	1075	23706
6	चंडीगढ़	1477	59365
7	छत्तीसगढ़	2674	75257
8	दिल्ली	2886	209458
9	गोवा	502	19148
10	गुजरात	14453	597491
11	हरियाणा	7021	363310
12	हिमाचल प्रदेश	1976	77169
13	जम्मू और कश्मीर	815	17426
14	झारखंड	2021	55724
15	कर्नाटक	9741	436700
16	केरल	2399	84821
17	लद्दाख	12	168
18	मध्य प्रदेश	5691	185224
19	महाराष्ट्र	20490	894574
20	मणिपुर	42	921
21	मेघालय	36	1131
22	मिजोरम	15	369
23	नागालैंड	14	220
24	ओडिशा	3796	79610
25	पंजाब	6035	155989
26	राजस्थान	10444	298166
27	सिक्किम	108	3522
28	तमिलनाडु	15099	737204
29	तेलंगाना	4923	259164
30	त्रिपुरा	149	5323
31	उत्तर प्रदेश	11415	389110
32	उत्तराखंड	2223	84651
33	पश्चिम बंगाल	6946	195180
	सकल योग	**138714**	**5475309**

अनुबंध -III

राज्य सभा के दिनांक 07.04.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *381 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ)

एससीडब्ल्यूएफ से वित्त पोषित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कुल व्यय नीचे दिया गया है:

एससीडब्ल्यूएफ से किया गया व्यय (रुपये करोड़ में)								
क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग योजना**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**योग**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग								
1(i).	अन्य कमजोर समूहों के लिए योजना	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**16.00**
1(ii).	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	0.00	1.50	106.51	0.00	26.50	25.00	**159.51**
1(iii).	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	21.31	**49.19**
1 (iv)	सिल्वर इकॉनॉमी का संवर्द्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	**20.00**
नागरिक उड्डयन मंत्रालय								
2(i).	एएआई हवाई अड्डों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक रूप से संचालित गोल्फ कार्ट की खरीद	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	**0.98**
	योग	**16.00**	**1.50**	**107.49**	**0.00**	**54.38**	**66.31048**	**245.68**

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4079

गुरूवार, 7 अप्रैल, 2022/17 चैत्र, 1944 (शक)

अस्थायी कामगार (गिग वर्कर्स) को कानूनी सुरक्षा

4079. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नए '10-मिनट में डिलीवरी' व्यवसाय मॉडल और इस मॉडल के अंतर्गत काम कर रहे वितरण अधिकारियों/भागीदारों की बढ़ती दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं या चिकित्सा आपात स्थितियों के मामलों में ड्राइवरों या वितरण भागीदारों के लिए बीमा कवर के प्रकार के संबंध में कोई एक समान नीति बनाई है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि अस्थायी कामगारों, विशेष रूप से वितरण अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून की अनुपस्थिति के कारण, नौकरी के दौरान दुर्घटना होने की स्थिति में उन्हें सामाजिक सुरक्षा जाल के बिना छोड़ दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में, पहली बार, गिग कामगारों को परिभाषित किया गया है और योजनाएं तैयार करके सामाजिक सुरक्षा के लाभों की परिकल्पना की गई है। उक्त संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का उपबंध किया गया है तथा निधि का एक स्रोत, ऐसे कामगारों को किसी एग्रिगेटर द्वारा भुगतान की गई या देय राशि के 5% की सीमा के अध्यधीन किसी एग्रिगेटर के वार्षिक कारोबार के 1 से 2% के बीच एग्रिगेटर से प्राप्त अंशदान है।

संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण, आदि संबंधी मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

हालांकि, किसी भी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि गिग और प्लेफॉर्म कामगार संबंधी संहिता के उपबंधों को अभी लागू नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4082

गुरूवार, 07 अप्रैल, 2022/17 चैत्र, 1944 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ब्याज दर

4082. श्री अबीर रंजन बिस्वास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2017 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वर्ष-वार ब्याज दर कितनी है;

(ख) क्या ईपीएफओ वर्तमान में विगत चार दशकों के दौरान सबसे कम ब्याज दर प्रदान कर रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ की ब्याज दरों को कम करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को पत्र लिखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2017 से धन की वर्ष-वार कितनी निकासी की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2017 से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) संचित राशि पर घोषित ब्याज दर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)
2017-18	8.55
2018-19	8.65
2019-20	8.50
2020-21	8.50

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 60(1) के उपबंधों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों के खातों में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज जमा करना अपेक्षित होता है। ईपीएफ पर ब्याज की दर का निर्धारण ईपीएफ में कुल निवेशित कोष पर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय के आधार पर किया जाता है। ईपीएफ द्वारा अर्जित ब्याज भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर के अनुसार समय अंतराल के साथ बढ़ता या घटता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष ईपीएफ शेष पर ब्याज दर निर्धारण में, केंद्र सरकार स्वयं सुनिश्चित करेगी कि सदस्यों के खातों में जमा किए गए ब्याज के डेबिट के परिणामस्वरूप ब्याज खाते में अत्यधिक निकासी नहीं हो। सीबीटी, ईपीएफ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.10 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है, जो अन्य तुलनीय योजनाओं यथा सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)/सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) की तुलना में काफी अधिक है।

(ग): जी नहीं।

(घ): वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक भविष्य निधि (पीएफ) निकासी की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	निकासी की राशि **(करोड़ रुपये में)**
2017-18	50,568.48
2018-19	61,558.83
2019-20	70,202.34
2020-21	91,187.54

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4094

गुरूवार, 07 अप्रैल, 2022/17 चैत्र, 1944 (शक)

न्यूनतम पेंशन और ईपीएस, 1995

4094. डा. सांतनु सेन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत 1,000 रुपये की वर्तमान न्यूनतम पेंशन की राशि पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ :(कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदानपरिभाषित लाभ-' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष)i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और)ii) 15,000/- रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से अंशदान से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और दिनांक 31.03.2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार, बीमांकिक घाटा हुआ है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्न सूत्र के अनुसार किया जाता है:

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा X पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

तथापि, सरकार ने पहली बार, वर्ष में 2014, ईपीएस, के तहत पेंशनधारकों को बजटीय 1995 सहायता, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान क (ईपीएफओ)ी जाने वाली वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी, उपलब्ध कराकर 1000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की। वित्त मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन में 1,000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर सहमति नहीं दी है।

****